

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 974./
प्रेषक,

दिनांक 30/05/2024

श्री 0 अक्शेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Kumari Sindhu
VIII-Naudha, Anchal-Daudanagar,
Dist-Aurangabad, Pin-824113

Correspondance Address

E-130 1ST Floor, P.C Colony
Kankarbag, Patna, Pin-800020

विषय:-

शीर्ष MIMGSV योजना अन्तर्गत Gandhi chak se harljan tol ke raste me to Dhobi tola तक पथ निर्माण
कार्य में पंचवर्षीय अनुस्क्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 60/SBD/2018-19 दिनांक- 08.03.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-60/SBD/2018-19 दिनांक- 08.03.2019 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक-05.09.2019 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुस्क्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुस्क्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुस्क्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुस्क्षण की जाँच सहायक अभियंता, जाले द्वारा भी BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक-27.04.2024 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नं० एवं रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी० पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-27.05.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियों निम्न प्रकार से हैं :-

- (1) पथ क पी०सी०सी० पथांश में चैनेज-100मी० से 300 मी० तथा अन्य कई जगहों में रैवेलिंग होना।
- (2) पथ के फ्लैक में चैनेज-100मी० से 320मी० तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (3) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर) एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
- (4) रोड सैनेज समुचित संख्या में नहीं रहना।
- (5) मेन बोर्ड/ अनुस्क्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर पुनः पेंटिंग कर सूचना अंकित करना।

अतः आपको शक्ता निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र 15 दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुस्क्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशांसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापक 974./ दिनांक 30/05/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अधीक्षण
30/5/24
02

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2